

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक: एफ.1 (अ)(5) स्था/डीटीए/

दिनांक: 1-10-2019

कार्यालय आदेश

निदेशालय के पत्र क्रमांक एफ.1(अ)(5) स्था/डीटीए/907-932 दिनांक 08.08.2017 के द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग की संशोधित कैडर स्ट्रैन्थ के पुर्नगठन की स्वीकृति जारी की गई थी। तत्पश्चात पत्र क्रमांक एफ.1(अ)(5) स्था/डीटीए/1294-1301 दिनांक 27.09.2017 के द्वारा कोष एवं लेखा (मुख्यालय) में स्वीकृत पदों का कार्य व्यवस्था के तहत वर्गीकरण किया गया था। वर्गीकरण के पश्चात् मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति के कारण कार्य व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से आवंटित पदों में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप निम्नानुसार कोष एवं लेखा (मुख्यालय) तथा कोषालयों में आवंटित पदों का पुनः वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. सं.	विभाग/कोषालय का नाम	पदनाम						योग
		कनिष्ठ सहायक	वरिष्ठ सहायक	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी	संस्थापन अधिकारी	
1.	कोष एवं लेखा (मुख्यालय)	29	19	14	12	04	02	80
2.	कोषालय (शहर) जोधपुर (कार्य व्यवस्था के तहत)	—	02	—	—	—	—	02
3.	कोषालय (ग्रामीण) जोधपुर (कार्य व्यवस्था के तहत)	—	01	—	—	—	—	01
4.	कोषालय (शहर) उदयपुर (कार्य व्यवस्था के तहत)	01	05	—	—	—	—	06
	योग	30	27	14	12	04	02	89

कोषालयों में उक्त पद कार्य व्यवस्था के तहत अस्थायी रूप से आवंटित किए गए। इन पदों पर वहां कार्यरत कार्मिकों के सेवानिवृत्ति/निधन/स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण रिक्त पद होने पर कोष एवं लेखा (मुख्यालय) में समाहित हो जावेंगे। इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति होने पर पद स्वतः उन्नयन हो जावेगा। इन कार्मिकों की वरिष्ठता कोष एवं लेखा (मुख्यालय) के तहत रहेगी। इस आदेश के अनुसार कोषालयों को आवंटित पद कोष एवं लेखा मुख्यालय को स्वीकृति पदों में से अस्थायी रूप से आवंटित किए गए हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक एफ.1(अ)(5)/स्था./डीटीए/ 1650-1657

दिनांक : 1-10-2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट)।
4. कोषाधिकारी (शहर/ग्रामीण) जोधपुर।
5. कोषाधिकारी (शहर) उदयपुर।
6. उपनिदेशक (आई.टी.) निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
8. लेखा शाखा।
9. रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक (प्रशासन))